

## न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. अरुण गर्ग  
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 79/2026

ऋषि सुलतानिया पता फलेट नम्बर 002, एक विंग बिल्डिंग 55 राधिका सीएचएस लिमिटेड गोकुलधाम, गोरेगांव वेस्ट पिनकोड  
400063 मो.न. 7023951335

बनाम

लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) चिड़ावा


सूचना का अधिकार अधिनियम  
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 19.03.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ( अपीलार्थी ) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 26.02.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 79/2026 पर दिनांक 26.02.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) चिड़ावा के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) चिड़ावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) चिड़ावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2026/607-08 दिनांक 05.03.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) चिड़ावा ने पत्रांक सू.अ./2026/44 दिनांक 17.03.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्रांक सू.अ./2025/04 दिनांक 07.10.2025 के द्वारा प्रार्थी को प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) चिड़ावा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्रांक सू.अ./2025/04 दिनांक 07.10.2025 के द्वारा प्रार्थी को प्रेषित की जा चुकी है। अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 19.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( डॉ. अरुण गर्ग )

जिला कलक्टर, झुंझुनू